HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Civil Miscellaneous Appeal No. 2419/2023

1. Sohan Lal Choudhary S/o Late Shri Bhomaram Choudhary, Aged About 87 Years, Resident Of Plot No/ 16-16A, Salyawas, Murgikhane Ke Peeche, Khatipura, Jaipur.
2. Kamla Devi W/o Late Shri Pushpendra Choudhary, Aged About 45 Years, Resident Of Plot No. 16-16A, Salyawas, Murgikhane Ke Peeche, Khatipura, Jaipur.
3. Kavita Choudhary W/o Kamlesh Choudhary, D/o Late Shri Pushpendra Choudhary, Aged About 26 Years, Resident Of Plot No. 16-16A, Salyawas, Murgikhane Ke Peeche, Khatipura, Jaipur.
4. Abhishek Choudahry S/o Late Shri Pushpendra Choudhary, Aged About 22 Years, Resident Of Plot No. 16-16A, Salyawas, Murgikhane Ke Peeche, Khatipura, Jaipur.

----Appellants

Versus

1. Henu Choudhary S/o Shri Sohan Lal Choudhary, Aged About 43 Years, Resident Of Plot No. 8, Salyawas, Choudhary Market, Khatipura Jaipur (Deceased).

   1/1 Geeta Devi W/o Late Shri Henu Choudhary, Aged About 40 Years, Resident Of Plot No. 8, Salyawas, Choudhary Market, Khatipura, Jaipur.

   1/2. Soniya Choudhary D/o Late Shri Henu Choudhary, Aged About 19 Years, Resident Of Plot No.-8, Salyawas, Choudhary Market, Khatipura, Jaipur.

   1/3. Rahul Choudhary S/o Late Shri Henu Choudhary, Aged About 17 Years, Through Guardian Mother Geeta Devi W/o Late Shri Henu Choudhary Resident Of Plot No. 8 Salyawas, Choudhary Market, Khatipura, Jaipur.
2. Mahesh Choudhary S/o Shri Sohan Lal Choudhary, Aged About 52 Years, Resident Of Plot No. 8 Salyawas, Choudhary Market, Khatipura, Jaipur.
3. Gayatri Devi W/o Late Shri Trilok Choudhary, Aged About 42 Years, Resident Of Plot No. 8 Salyawas, Choudhary Market, Khatipura, Jaipur.

4. Badal Choudhary S/o Late Shri Trilok Choudhary, Aged About 20 Years, Resident Of Plot No. 8 Salyawas, Choudhary Market, Khatipura, Jaipur.
5. Siddharth Choudhary S/o Late Shri Trilok Choudhary, Aged About 18 Years, Resident Of Plot No. 8 Salyawas, Choudhary Market Khatipura Jaipur.
6. Om Prakash Choudhary S/o Shri Sohan Lal Choudhary, Aged About 54 Years, Resident Of Plot No. 8, Salyawas, Choudhary Market, Khatipura Jaipur.

----Respondents

For Appellant(s)	:	Mr. Saransh Ghiya, Adv.
For Respondent(s)	:	Mr. Anurag Shukla, Adv. Ms. Vijeta Sharma, Adv. Mr. J.P. Rinwa, Adv.

HON'BLE MR. JUSTICE UMA SHANKER VYAS

Judgment / Order

19/03/2026

अपीलार्थीगण–प्रतिवादी क्रम 1, 3, 4 तथा 5 (आगे ''अपीलार्थीगण'' कहा जावेगा) की ओर से यह अपील विद्वान अपर जिला न्यायाधीश संख्या–2, जयपुर महानगर, द्वितीय द्वारा दीवानी विविध प्रकरण संख्या 43/2021 में पारित अपीलाधीन आदेश 16.05.2023 से व्यथित होकर प्रस्तुत की है जिसके माध्यम से प्रत्यर्थी–वादी का आवेदन अन्तर्गत आदेश 39 नियम 1 व 2 सी.पी. सी. स्वीकार कर प्रतिवादीगण को मूल वाद के निस्तारण तक वादग्रस्त सम्पत्ति को विक्रय, रहन, अन्तरित अथवा भारित नहीं किये जाने हेतु पाबन्द किया गया।

विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी तथा प्रत्यर्थी पक्ष की बहस सुनी गयी, अभिलेख का अवलोकन किया।

प्रत्यर्थीगण–वादीगण का यह अभिकथन रहा है कि भूखण्ड संख्या–16 व 16बी (आगे ''वादग्रस्त सम्पत्ति'' कहा जायेगा) मंजूदेवी के हैं। पक्षकारान मंजूदेवी के पति–पुत्र–पुत्रवधु, पौत्र अथवा पौत्री हैं। मंजूदेवी की मृत्यु हो चुकी

है, अतः सम्पत्ति में अपीलार्थी व प्रत्यर्थीगण का हक–हिस्सा है। यह भी अभिकथित किया कि प्रतिवादीगण वादग्रस्त सम्पत्ति को अन्तरित करना चाहते हैं और उसके विरूद्ध अस्थायी व्यादेश चाहा, जिस पर अपीलीधीन आदेश उपरोक्तानुसार पारित किया गया।

विचारण न्यायालय में अपीलार्थीगण का यह अभिकथन रहा है कि सोहनलाल द्वारा श्रीमती मन्नी से विवाह किया गया था और सोहनलाल के अलावा वाद के सभी पक्षकारान मन्नीदेवी की संतान अथवा उनके वंशज हैं। मन्नीदेवी की मृत्यु होने के बाद सोहनलाल अपीलार्थी द्वारा श्रीमती मंजूदेवी से विवाह किया गया और उसके कोई संतान नहीं हुई। अपीलार्थीगण का यह भी अभिकथन रहा है कि मंजूदेवी के नाम से यह सम्पत्ति सोहनलाल द्वारा खरीद की गयी थी, अन्यथा भी मंजूदेवी की मृत्यु के बाद उसका पति सोहनलाल ही अकेला उत्तराधिकारी है, अतः ऐसी स्थिति में सोहनलाल को अपने जीवनकाल में यह सम्पत्ति अपनी इच्छानुसार अन्तरित करने आदि का अधिकार है।

भूखण्ड संख्या–16 व 16 बी मंजूदेवी के स्वामित्व की होना विवादरहित है। मंजूदेवी की मृत्यु के बाद उसका पति अर्थात अपीलार्थी क्रम–1 सोहनलाल द्वारा भूखण्ड संख्या 16बी अपनी पुत्रवधु अपीलार्थी क्रम–2 कमलादेवी को पंजीकृत उपहार पत्र के माध्यम से गिफ्ट में दिया गया है तथा भूखण्ड संख्या 16 के संबंध में अपीलार्थी क्रम–3 के पक्ष में सोहनलाल द्वारा वसीयत लिखी गयी है।

प्रथमदृष्टया यह सम्पत्ति मंजूदेवी के स्वामित्व की है, मंजूदेवी निसंतान थी, अतः ऐसी स्थिति में उसकी मृत्यु के बाद यह सम्पत्ति प्रथम श्रेणी के उत्तराधिकारी अर्थात मंजूदेवी के पति सोहनलाल के उत्तराधिकार में प्राप्त होती है। सोहनलाल अपने जीवनकाल में इस सम्पत्ति का इच्छानुसार उपयोग, उपभोग, अन्तरण आदि कर सकता है। सोहनलाल के जीवनकाल में उसकी पहली पत्नी से उत्पन्न हुई संतान अथवा उसके वारिसों का प्रथमदृष्टया हक व हिस्सा नहीं है, अतः ऐसी स्थिति में प्रत्यर्थीगण के पक्ष में कोई प्रथमदृष्टया मामला नहीं है, लेकिन उसके बावजूद विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा तथ्यों

और विधि के विपरीत जाकर प्रत्यर्थी–वादी का प्रथमदृष्टया मामला माना है जो उचित नहीं है और यह निष्कर्ष अपास्त होने योग्य है।

जहां तक सुविधा का संतुलन व अपूर्तनीय क्षति का प्रश्न है, सोहनलाल अपीलार्थी वादग्रस्त सम्पत्ति का स्वामी है। जैसा कि ऊपर विवेचन किया गया है, वह अपने जीवनकाल में इस सम्पत्ति का उपयोग, उपभोग अथवा अन्तरण आदि करने हेतु स्वतंत्र है, उसे अकारण अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया गया तो उसके ही विधिक अधिकारों का हनन होगा। अस्थायी व्यादेश जारी नहीं करने पर प्रत्यर्थी–वादी को कोई असुविधा, अपूर्तनीय क्षति हो, ऐसी स्थिति नहीं है। अन्यथा भी वाद लंबित रहने के दौरान वादग्रस्त सम्पत्ति यदि अन्तरित अथवा भारित होती है तो धारा 52ए सम्पत्ति अन्तरण अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पारित होने वाले अंतिम निर्णय से सभी पक्षकारान और अन्तरिती आबद्धकर होंगे।

स्पष्ट है कि इन दोनों बिन्दुओं पर भी विद्वान विचारण न्यायालय का जो निष्कर्ष व निर्णय रहा है, वह विधि–सम्मत नहीं है तथा वह अपास्त होने योग्य है तथा यह अपील स्वीकार किये जाने योग्य है।

अतः यह अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश दिनांक 16.05.2023 अपास्त किया जाता है, स्थगन प्रार्थना पत्र यदि लंबित है तो वह भी उक्त प्रकार से निस्तारित माना जाता है।

(UMA SHANKER VYAS),J

Mittal /15